न्यायालय समाहर्त्ता, एवं जिला दण्डाधिकारी, दरभंगा
उत्पाद अधिहरण वाद संख्या–100 / 2020
तपश मंडल उर्फ तुपेश मंडल बनाम बिहार सरकार एवं अन्य

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
28/8/20	**आदेश** प्रस्तुत वाद आवेदक तपश मंडल उर्फ तुपेश मंडल, पिता–दिनेश मंडल, ग्राम– विधान नगर, दादरगंज, शांति पट्टा, थाना–हसिदाबाद, जिला–दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल की ओर से उत्पाद अधिनियम–2016 के अन्तर्गत लहेरियासराय थाना कांड सं0–232 / 19 में जब्त वैगनआर कार पंजीयन सं0–WB-74AR-1480 के विमुक्ति हेतु माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर सी0डब्लू0जे0सी0 सं0–631 / 2020 में दिनांक 09.07.2020 को पारित आदेश के आलोक में सुनवाई हेतु आदेश की वेब प्रति के साथ दाखिल आवेदन के आलोक में प्रारम्भ किया गया। उत्पाद अधिनियम 2016 के अन्तर्गत उक्त थाना कांड में जब्त वाहन (1) मारूति सुजुकी वैगनआर कार पंजीयन सं0–WB-74AR-1480 (2) पिकअप पंजीयन सं0–WB-73D-2900 के राज्यसात् हेतु वरीय पुलिस अधीक्षक, दरभंगा के पत्रांक 1071 / म0नि0को0 दिनांक 24.08.2020 से अनुशंसा प्राप्त है, तथा आवेदक वाहन स्वामी मारूति सुजुकी वैगनआर कार पंजीयन सं0–WB-74AR-1480 की ओर से कारण पृच्छा प्राप्त है, जो अभिलेख पर संधारित है। वाहन स्वामी पिकअप पंजीयन सं0–WB-73D-2900 उपस्थित नहीं हुए है। आवेदक वाहन स्वामी वैगनआर कार पंजीयन सं0–WB-74AR-1480 की ओर से विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि वे उक्त जब्त वाहन के स्वामी है। आवेदक अपने निकट संबंधी को लेकर अपने कार से दरभंगा आये थे। इसी क्रम में बंगाल नम्बर देख कर लहेरियासराय पुलिस द्वारा रोका गया तथा कागजात दिखाने को कहा गया। सभी कागजात दिखाने के वावजूद भी नाजायज रूपया नहीं देने के कारण आवेदक को जेल भेज दिया गया, जो अभी जमानत पर है। उस समय एक अन्य वाहन पिकअप जो पुलिस द्वारा जब्त कर लाया गया था, उसमें से शराब बरामद हुआ था उसी में मेरे कार से भी शराब बरामद दिखा दिया गया, जो सरासर गलत है। इस संबंध में आवेदक द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में सी0डब्लू0जे0सी0 संख्या 631 / 2020 दाखिल किया गया जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा श्रीमान् के समक्ष अपना पक्ष रखने के लिए निदेशित किया गया है। अतः उक्त के आलोक में वाहन को विमुक्त करने की कृपा की जाय। विद्वान विभागीय अधिवक्ता का कथन है कि पुलिस बल को,	

निरीक्षक मद्य निषेध, दरभंगा से प्राप्त सूचना के आधार पर सैदनगर पेट्रौल पम्प के पास पहुँचने पर देखा कि एक पिकअप एवं एक वैगनआर कार लगी हुई है। पुलिस को देख कर पिकअप का चालक गाड़ी छोड़कर भाग गया। तत्पश्चात पिकअप एवं वैगनआर कार को घेर कर रखा गया। स्थानीय दो साक्षी के समक्ष विधिवत् (1) कार पंजीयन सं0–WB-74AR-1480 की तलाशी लेने पर उक्त कार के डिक्की एवं बीच वाले सीट से पाँच कार्टुन से प्रत्येक कार्टुन में 24 पीस 375 एम0एल0 का इम्पेरियल ब्लू अंग्रेजी शराब कुल 120 बोतल बरामद हुआ। (2) पिकअप वाहन पंजीयन सं0–WB-73D-2900 की तलाशी लेने पर उसमें पशु आहार का सोलह बोरा रखा हुआ पाया जिसके नीचे पचीस कार्टुन से प्रत्येक कार्टुन में 24 पीस 375 एम0एल0 का इम्पेरियल ब्लू अंग्रेजी शराब कुल 600 बोतल बरामद हुआ। जिसे उक्त वाहन के साथ विधिवत् जब्त करते हुए अग्रेतर कार्रवाई की गयी। चूँकि बिहार राज्य में अवैध शराब का चौर्य व्यापार एवं परिवहन दण्डनीय अपराध है। अतः उक्त जब्त वाहन को राज्यसात् होना चाहिये।

विद्वान् विभागीय अधिवक्ता एवं विपक्षी के विद्वान् अधिवक्ता को सुना एवं अभिलेख पर संधारित कागजातों का अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट है कि पुलिस बल द्वारा स्थानीय दो साक्षी के समक्ष विधिवत् (1) कार पंजीयन सं0–WB-74AR-1480 की तलाशी लेने पर उक्त कार के डिक्की एवं बीच वाले सीट से पाँच कार्टुन से प्रत्येक कार्टुन में 24 पीस 375 एम0एल0 का इम्पेरियल ब्लू अंग्रेजी शराब कुल 120 बोतल बरामद हुआ। (2) पिकअप वाहन पंजीयन सं0–WB-73D-2900 की तलाशी लेने पर उसमें पशु आहार का सोलह बोरा रखा हुआ पाया जिसके नीचे पचीस कार्टुन से प्रत्येक कार्टुन में 24 पीस 375 एम0एल0 का इम्पेरियल ब्लू अंग्रेजी शराब कुल 600 बोतल बरामद हुआ। जिसे उक्त वाहन के साथ विधिवत् जब्त करते हुए अग्रेतर कार्रवाई की गयी। विपक्षी द्वारा प्रस्तुत कारण पृच्छा के समर्थन में कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। जबकि दो स्वतंत्र साक्षी के समक्ष उक्त वाहनों से अवैध शराब बरामद हुआ है। इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि बिहार मद्य निषेद्य एवं उत्पाद अधिनियम–2016 की धारा 56(घ) के तहत उक्त वाहनों का उपयोग अवैध शराब के परिवहन में किया जा रहा था। जबकि बिहार राज्य में अवैध शराब का चौर्य व्यापार, परिवहन तथा भंडारण प्रतिबंधित एवं दण्डनीय अपराध है।

माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा सी0डब्लू0जे0सी स0–5049/2018 दिवाकर कुमार सिंह बनाम बिहार सरकार एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 22.03.18 के अनुपालन में उक्त नियामक तथ्यों से स्पष्ट है कि बिहार मद्य निषेद्य एवं उत्पाद

अधिनियम–2016 की धारा 56(घ) के तहत संबंधित वाहन का उपयोग अवैध शराब के परिवहन में किया जा रहा था, जिसे राज्यसात् करने का प्रस्ताव समर्पित किया गया है। अभिलेख अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त अधिनियम की धारा 58(3) के अनुरूप संबंधित वाहन स्वामी को समुचित अवसर प्रदान किया गया है।

अतएव उपरोक्त तथ्य के आलोक में लहेरियासराय थाना कांड सं0–232/19 दिनांक 20.06.2019 में जब्त वाहन कार पंजीयन सं0–WB-74AR-1480 को बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम–2016 की धारा 58(2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए धारा 56(घ) के तहत राज्यसात् करने का आदेश दिया जाता है। तथा उक्त थाना कांड में जब्त एक अन्य वाहन पिकअप वाहन पंजीयन सं0–WB-73D-2900 के स्वामी को कारण पृच्छा हेतु नोटिस निर्गत करें।

यदि संबंधित पक्षकार इस आदेश से असंतुष्ट हैं, तो 90 दिनों के अन्दर अपीलीय प्राधिकार, आयुक्त उत्पाद, बिहार के न्यायालय में अपील दायर कर सकते हैं।

आदेश की प्रति अधीक्षक, उत्पाद, दरभंगा को आवश्यक अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेजें।

आदेश की प्रति वरीय पुलिस अधीक्षक, दरभंगा को आवश्यक अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेजें।

आदेश की प्रति आयुक्त उत्पाद, बिहार, पटना को आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजें।

उपर्युक्त विवेचना के साथ जब्त वाहन कार पंजीयन सं0–WB-74AR-1480 की कार्यवाही माननीय उच्च न्यायालय पटना के सी0डब्लू0जे0सी0 संख्या समाप्त की जाती है। तथा एक अन्य जब्त वाहन पिकअप वाहन पंजीयन सं0–WB-73D-2900 की कार्यवाही जारी रहेगी।

अभिलेख पुनः दिनांक 22/9/20 को रखें।

लेखापित एवं संशोधित।

समाहर्ता एवं जिला दण्डाधिकारी, दरभंगा

समाहर्ता एवं जिला दण्डाधिकारी, दरभंगा

D:\2020\...Order\Tapas Mandal 100-2020.doc